

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरुस्ती हेतु निवेदन किया है एवं दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गई है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की है। उक्त दुरुस्ती वस्तुतः लिखित त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरुस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र. सं. | पूर्व इन्द्राज | | | स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज | | |
|----------|---|----------|---------------------|---|----------|--|
| | खातेदार का नाम | खसरा नं. | रकबा | खातेदार का नाम | खसरा नं. | रकबा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ज्याना बेवा गोकल कमला बेवारप्रमिश्र महावीर वन्द गोकल शजजीत वन्द गोकल वर्ग. रवातेदार | 1696 | 0.31 वर्ग. मु. आ | ज्याना बेवा गोकल कमला बेवारप्रमिश्र महावीर वन्द गोकल शजजीत वन्द गोकल वर्ग. रवातेदार | 1696 | 0.15 वर्ग. मु. आ 0.16 वर्ग. 3 |

दिनांक 12/08/23 दिनांक 7-5-18
प्रतिनिधि निम्नके पालनार्थ -
1. रकबा
2. पत्नी (वन्द) गोकल

अध्यक्ष

हस्ताक्षर उपरवाड़ अजमेर
लोक अदालत शिपिर

सरवाड़ (अजमेर)

बचत योजनाओं में राशि द्विनियोजित का
राष्ट्र के विकास में भागीदार बनें